रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936
No. 170] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 238(**अ**).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित, धारा 2 के खंड (77) के उप-खंड (iii) तथा खंड (76) के उप-खंड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) डिजीटल हस्ताक्षर के प्रयोजन के लिए "प्रमाणन प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 24 के अधीन और अधिनियम के अधीन प्रमाणित फाइलिंग केंद्र (सीएफसी) द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है;

(ग) "डिजीटल हस्ताक्षर" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (त) के अधीन यथापरिभाषित डिजीटल हस्ताक्षर अभिप्रेत है;

(घ) "डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (थ) के अधीन यथापरिभाषित डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "निदेशक पहचान संख्या" (डिन) से किसी कंपनी के निदेशक के रूप में किसी का निदेशक नियुक्त होने के लिए आशयित व्यक्ति या किसी वर्तमान निदेशक की पहचान के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आबंटित पहचान संख्या अभिप्रेत है;

परंतु यह कि इन नियमों की अधिसूचना से पहले किन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्राप्त निदेशक पहचान संख्या (डिन) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोजन के लिए डिन होगी।

परंतु यह और कि "निदेशक पहचान संख्या" (डिन) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 7 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी नामनिर्दिष्ट भागीदारी पहचान संख्यांक (डीपिन) भी है।

(च) "ई-प्ररूप" से अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अधीन यथाविहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "इलेक्ट्रॉनिक डाक" से किसी इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र का प्रयोग करते हुए डिजीटल रूप में ऐसे भेजे गए, प्राप्त या अग्रेषित संदेश अभिप्रेत है जिसे इस प्रकार भेजा, प्राप्त या अग्रेषित संदेश भंडारणीय हो और उसे पुनः प्राप्त किया जा सके;

(ज) अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के प्रयोजन के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक पद्धति" से इलेक्ट्रॉनिक आधारित ऐसा कार्य अभिप्रेत है चाहे उसका मुख्य सर्वर भारत में स्थापित हो या नहीं हों, और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, जो उन तक सीमित नहीं है —

(i) कारबार से कारबार और कारबार से उपभोक्ता संव्यवहार, आंकड़ा की अदला-बदली और अन्य डिजीटल प्रदाय के संव्यवहार;

(ii) भारत में या भारत के नागरिकों से निक्षेपों की स्वीकृति या निधियों को आंमत्रित करना या प्रतिभूतियों में निक्षेप या अभिदाय स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव करना;

(iii) वित्तीय परिनिर्धारण, वेब आधारित विपणन, परामर्श और लेन-देन सेवाएं, डाटाबेस सेवाएं और उत्पाद, प्रदाय शृंखला प्रबंधन;

(iv) ऑनलाइन सेवाएं जैसा कि टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्युटिंग, टेलीमेडीसिन, शिक्षा और सूचना अनुसंधान; और

(v) सभी संबंधित आंकड़ा संचार सेवाएं;

चाहे वे ई-मेल, मोबाइल युक्ति, सामाजिक मीडिया या समूह संगणना, दस्तावेज प्रबंधन, आवाज या आंकड़ा संप्रेषण या अन्यथा द्वारा संचालित किया जाए

(झ) "इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) के अधीन यथापरिभाषित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अभिप्रेत है;

(ञ) "इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री" से केंद्रीय सरकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक आधान या भंडारण-तंत्र अभिप्रेत है जिसमें सूचनाएं और दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त, भंडारित, सुरक्षित और संरक्षित की जाती है;

(ट) "कार्यपालक निदेशक" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (94) में यथापरिभाषित पूर्णकालिक निदेशक अभिप्रेत है;

(ठ) शुल्क" से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विहित फीस अभिप्रेत है;

(ड) "प्रारूप" या "ई-प्रारूप" से इन नियमों के उपाबंध में दिया प्रारूप अभिप्रेत है जिसका प्रयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा;

(ढ) "पूर्व-पूरित" से केंद्रीय सरकार की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में रखे गए डाटाबेस से कंप्यूटर प्रणाली द्वारा आंकड़ा निवेश की स्वचालित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ण) "रजिस्ट्रार का फ्रंट कार्यालय" से इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में दस्तावेज़ों की ई-फाइलिंग, उनका निरीक्षण और उन्हें देखने को सुकर बनाने के लिए केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा रखा गया कार्यालय अभिप्रेत है;

(त) "प्रादेशिक निदेशक" से केंद्रीय सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(थ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(द) "कुल शेयर पूंजी" से धारा 2 के खंड (6) और खंड (87) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित का योग अभिप्रेत है—

(क) समादत् साधारण शेयर पूंजी; और

(ख) संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर पूंजी;

IndiaCode

(ध) अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (1) के खंड (घ) और धारा 167 की उपधारा (1) के खंड (च) के प्रयोजन के लिए, "या अन्यथा" से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है, जिसके लिए उसे इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु उन्हें, इस अधिनियम या (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या (iv) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) या उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम या उन अधिनियमों में उनके लिए दिए गए हैं।

3. **संबंधित पक्ष —** किसी कंपनी के संदर्भ में अधिनियम की धारा 2 के खंड (76) के उप-खंड (ix) के प्रयोजन के लिए, नियंत्री कंपनी का निदेशक या प्रमुख प्रबंध कार्मिक या उसका संबंधी, संबंधित पक्ष माना जाएगा।

4. **धारा 2 की उप-धारा (77) के अनुसार संबंधियों की सूची —** किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का संबंधी माना जाएगा, यदि वह उस दूसरे व्यक्ति से निम्नलिखित रीति से संबंधित हो, अर्थात्:—

(1) पिताः
परंतु यह कि "पिता" शब्द में सौतेला पिता सम्मिलित है।

(2) माताः
परंतु यह कि "माता" शब्द में सौतेली माता सम्मिलित है।

(3) पुत्रः
परंतु यह कि "पुत्र" शब्द में सौतेला पुत्र सम्मिलित है।

(4) पुत्र की पत्नी।

(5) पुत्री।

(6) पुत्री का पति।

(7) भाईः
परंतु यह कि "भाई" शब्द में सौतेला भाई सम्मिलित है।

(8) बहनः
परंतु यह कि "बहन" शब्द में सौतेली बहन सम्मिलित है।

IndiaCode

[फा. सं. 01/13/2013 (भाग-I)सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R 238 (E).—In exercise of the powers conferred under sub-clause (ix) of clause (76), sub-clause (iii) of clause (77) of section 2, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,**—**

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Certifying Authority" for the purpose of Digital Signature Certificate means a person who has been granted a licence to issue a Digital Signature Certificate under section 24 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and the Certified Filing Center (CFC) under the Act;

(c) "digital signature" means the digital signature as defined under clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(d) "Digital Signature Certificate" means a Digital Signature Certificate as defined under clause (q) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(e) "Director Identification Number" (DIN) means an identification number allotted by the Central Government to any individual, intending to be appointed as director or to any existing director of a company, for the purpose of his identification as a director of a company;

Provided that the Director Identification Number (DIN) obtained by the individuals prior to the notification of these rules shall be the DIN for the purpose of the Companies Act, 2013:

Provided further that "Director Identification Number" (DIN) includes the Designated Partnership Identification Number (DPIN) issued under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) and the rules made thereunder;

(f) "e-Form" means a form in the electronic form as prescribed under the Act or the rules made thereunder and notified by the Central Government under the Act;

(g) "electronic Mail" means the message sent, received or forwarded in digital form using any electronic communication mechanism that the message so sent, received or forwarded is storable and retrievable;

(h) "electronic mode", for the purposes of clause (42) of section 2 of the Act, means carrying out electronically based, whether main server is installed in India or not, including, but not limited to-

(i) business to business and business to consumer transactions, data interchange and other digital supply transactions;

(ii) offering to accept deposits or inviting deposits or accepting deposits or subscriptions in securities, in India or from citizens of India;

(iii) financial settlements, web based marketing, advisory and transactional services, database services and products, supply chain management;

(iv) online services such as telemarketing, telecommuting, telemedicine, education and information research; and

(v) all related data communication services,

whether conducted by e-mail, mobile devices, social media, cloud computing, document management, voice or data transmission or otherwise;

(i) "electronic record" means the electronic record as defined under clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000;

(j) "electronic Registry" means an electronic repository or storage system of the Central Government in which the information or documents are received, stored, protected and preserved in electronic form;

(k) "Executive Director" means a whole time director as defined in clause (94) of section 2 of the Act;

(l) "Fees" means the fees as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;

(m) "Form" means a form set forth in the Act or the rules made thereunder which shall be used for the matter to which it relates;

(n) "Pre-fill" means the automated process of data input by the computer system from the database maintained in electronic registry of the Central Government;

(o) "Registrar's Front Office" means an office maintained by the Central Government or an agency authorised by it to facilitate e-filing of documents into the electronic registry and their inspection and viewing;

(p) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;

(q) "section" means the section of the Act;

(r) "Total Share Capital", for the purposes of clause (6) and clause (87) of section 2, means the aggregate of the -

IndiaCode

(a) paid-up equity share capital; and

(b) convertible preference share capital;

(s) For the purposes of clause (d) of sub-section (1) of Section 164 and clause (f) of sub-section (1) of section 167 of the Act, "or otherwise" means any offence in respect of which he has been convicted by a Court under this Act or the Companies Act, 1956;

(2) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in (i) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or (ii) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or (iii) the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or (iv) the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or rules and regulations made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them under the Act or those Acts.

3. Related party.- For the purposes of sub-clause (ix) of clause (76) of section 2 of the Act, a director or key managerial personnel of the holding company or his relative with reference to a company, shall be deemed to be a related party.

4. List of relatives in terms of clause (77) of section 2.- A person shall be deemed to be the relative of another, if he or she is related to another in the following manner, namely:-

(1) Father:

Provided that the term "Father" includes step-father.

(2) Mother:

Provided that the term "Mother" includes the step-mother.

(3) Son:

Provided that the term "Son" includes the step-son.

(4) Son's wife.

(5) Daughter.

(6) Daughter's husband.

(7) Brother:

Provided that the term "Brother" includes the step-brother;

(8) Sister:

Provided that the term "Sister" includes the step-sister.

[F. No. 01/13/2013 (Part-I) CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.